न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 104/2011

केदार पुत्र श्री दानमल जाति मीणा निवासी महुवा तहसील मांगरोल जिला बारां
.... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील प्रार्थी : श्री लिहाज हुसैन अंसारी
दायरा दिनांकः 15.06.2011 निर्णय दिनांक : 05.07.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते की आराजी ग्राम महुवा में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी को दिनांक 12.01.1983 को मिसल नं0 248 से खसरा नं0 89/1 रकबा 10 बिस्वा आवंटन की गयी थी। उक्त आराजी का साबिक खसरा नं0 89/1 रकबा 10 बिस्वा था। जिसके बादे सेटलमेंट नया हाल खसरा नं0 294/1128 रकबा 0.08 है0 खाता संख्या 278 दर्ज किया गया। भू–प्रबंधन विभाग द्वारा साबिक नक्शे को हाल के नक्शे में बदल दिये जाने से प्रार्थी की आराजी वर्तमान खसरा नं0 294/1128 रकबा 0.08 है0 की भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन आ गया है। जबकि प्रार्थी मौके पर साबिक नजरी नक्शे के अनुसार आज भी काबिज काश्त है। अतः हाल खसरा नं0 294/1128 रकबा 0.08 है0 को मुताबिक साबिक नजरी नक्शा सन 1956 के अनुसार हाल नक्शा 1981–82 को दुरूस्त किये जाने के व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त संबंध में तहसीलदार मांगरोल से जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्रांकः भू.अ./2017/9 दिनांक 05.07.2017 के द्वारा अंकित किया कि प्रार्थी की साबिक खसरा नं0 89 रकबा 10 बिस्वा भूमि आवंटन हुई थी। आवंटित भूमि गैरखातेदारी में सेटलमेंट बाद साबी खसरा नं0 294 रकबा 0.08 है0 पर दर्ज हुई है। आवंटी को आवंटि रेकार्ड अनुसार रकबा दर्ज किया गया है। गत साबिक खसरा नं0 89 के नवीन खसरा नं0 का मिलान क्षेत्रफल गत साबिक खसरा नं0 के गत रकबे एवं नम्बरो में कोई विशेष परिवर्तन नही हैं आवंटी को आवंटित की गई 10 बिस्वा भूमि के नवीन खसरा नं0 294 रकबा 0.30 है0 में से 0.08 है0 दर्ज कर दी गई है। अतः प्रकरण गत एवं हाल नक्शे में कोई दुरूस्ती योग्य नही है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी ने बाद सेटलमेंट हुई नजरी नक्शे मे परिवर्तन को दुरूस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का साबिक खसरा नं0 89 के नवीन खसरा नम्बर का मिलान क्षेत्रफल गत साबिक खसरा नम्बर के गत रकबे एवं नम्बरो में कोई विशेष परिवर्तन नही हैं आवंटी को आवंटित की गई 10 बिस्वा भूमि के नवीन खसरा नं0 294 रकबा 0.30 है0 में से 0.08 है0 दर्ज कर दी गई है। अतः प्रकरण गत एवं हाल नक्शे में कोई दुरूस्ती योग्य नही है। प्रार्थी ने मिलान क्षेत्रफल संलग्न नही किया है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प महुआ मजमेंआम में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल